



केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Sericultural Research & Training Institute
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India



दिनांक 22 मार्च, 2021 के अपराह्न 4.00 बजे आयोजित होने वाली संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 126वीं बैठक की कार्यसूची व व्याख्यात्मक टिप्पणी/Agenda and Explanatory notes of 126th meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute to be held on 22nd March., 2021 at 4.00 p.m.

मद सं/Item No.1: दिनांक 16.12.2020 को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 125वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 125th meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 16.12.2020.

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 125वीं बैठक की कार्यवृत्त की प्रति सभी सदस्यों में पहले ही परिचालित की गई है। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। A copy of the minutes of the 125th meeting of the Official Language Implementation Committee has already been circulated among the members of the Committee. No comments have been received from any members. Hence, minutes may be treated as confirmed.

मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.

क्र.सं	लिए गए निर्णय/ Decisions taken	की गई कार्रवाई/ Action taken
1	धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों को द्विभाषी में अनिवार्य रूप से जारी करने के साथ ही नियम-5 का सम्यक अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only alongwith compliance of Rule -5 may also be ensured.	संस्थान में धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों को द्विभाषी में अनिवार्य रूप से जारी करने के साथ ही नियम-5 का सम्यक अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया गया है। Documents specified under section 3(3) issued in Bilingual form only alongwith compliance of Rule -5 has been ensured at this institute.
2	यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा कम से कम हिंदी पत्राचार 70% तथा टिप्पण 45% तक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। It was also decided that each and every sections of this institute should ensured to transact at least their 70% correspondence either in Hindi or in diglot form along with 45% noting in Hindi too.	संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा हिंदी पत्राचार 70% तथा टिप्पण 45% तक किया जा रहा है। Each and every sections of this institute is being transacted their 70% correspondence either in Hindi or in diglot form along with 45% noting in Hindi too
3	संस्थान के वेबसाइट पर हिंदी अनुभाग से संबंधित रिपोर्ट भी समय-समय पर अपलोड किया जाए। Reports related to Hindi section should also be uploaded time to time on the website of this institute.	संस्थान के वेबसाइट पर हिंदी अनुभाग से संबंधित रिपोर्ट अपलोड किया जा रहा है। Reports related to Hindi section is being uploaded on the website of this institute.
4	संस्थान में रख-रखाव की जा रही सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः हिंदी व द्विभाषी में किया जाए। It must be ensured that entries in all service books being maintained at this Institute are made either in Hindi or in Bilingual form.	संस्थान में रख-रखाव की जा रही सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिंदी व द्विभाषी में की जा रही है। Entries in the service books being maintained at this Institute are made either in Hindi or in Bilingual form.
5	यह भी निर्णय लिया गया कि आगे से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की प्रभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding Hindi correspondence of implementation of this institute should be reviewed division-wise in future.	संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की प्रभागवार समीक्षार्थ प्रस्तुत है। Comparative progress report regarding Hindi correspondence of implementation of this institute has been prepared for the review.

6	संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाए। / Scientists/Officers and Hindi Section, visiting the sub-ordinate units of this institute must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned units.	वर्तमान तिमाही के दौरान पी2 बुनियादी बीज फार्म, कर्णसुबर्ण, रेशमकीट बीज उत्पाद केन्द्र, रायगंज, बुनियादी बीज प्रगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र, पटेलनगर, क्षेत्रउअके, कलिम्पोंग, पी3 मूल बीज फार्म, आमबाड़ी फालाकाटा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता [प.बं.] का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया है। Official Language inspection of the P2 BSF, Karnsubarna, BSMTC, Patelnagar, RSRS, Kalimpong and RO, Kolkata has been done during the present quarter.
7	संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा प्रेषण और डायरी पंजी का रख-रखाव करते हुए जारी / प्राप्त पत्रों के कॉलम में हिंदी/द्विभाषी/अंग्रेजी का उल्लेख अवश्य किया जाए। All the section of this Institute should maintain Dairy and Dispatch register in their sections and must ensure to indicate Hindi/Bilingual/English against the column letter issued/received without fail.	संस्थान के लेखा और स्थापना को छोड़ बाकी सभी अनुभागों द्वारा प्रेषण और डायरी पंजी में हिंदी/द्विभाषी/अंग्रेजी का उल्लेख किया जा रहा है। All the section of this Institute are maintaining a column indicating Hindi/Bilingual/English in the Dairy and Dispatch register except Account & Establishment.
8	राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials during the each and every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.	निर्णयानुसार, संस्थान में दिनांक 17.12.2020 को एक हिंदी कार्यशाला आयोजित कर 10 पदधारी प्रशिक्षित किए गए। As per decision taken, A total no. of 10 officials were got trained by organizing a Hindi workshop on 17.12.2020 this institute.
9	संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.	संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समीक्षार्थ प्रस्तुत है। Comparative quarterly Progress Report regarding Hindi correspondence of the nested Units of this Institute has been prepared for the review.
10	संस्थान के अधिकारियों/पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर प्वाइंट अद्यतन रखते हुए शेष बचे पदधारियों को प्रशिक्षण हेतु अगले सत्र में नामित किया जाए। To maintain the Up-to-date roster point regarding Hindi Training of the Officers and Staff of this Institute and remaining officials must be nominated for the same during the ensuing session.	इस संस्थान के अधिकारियों व पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी अद्यतन रोस्टर प्वाइंट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। An up-to-date roster point regarding Hindi training of the officers and staff of this Institute has been prepared for perusal.

मद सं/Item No.3: संस्थान के अनुभागों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 की समीक्षा: Review of the monthly progress report regarding progressive use of Hindi for the month of Oct. - Dec., 2020 of this institute. (Annexure/अनुलग्नक-1)

मद सं/Item No.4: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों के माह अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा: Review of the quarterly progress report regarding progressive use of Hindi for the quarter Oct. - Dec., 2020 of the nested units of this institute.

मद सं/Item No.5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय: Any other subject with the permission of the chairman.

दिसम्बर, 2020 को समाप्त संस्थान के अनुभागों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	अनुभाग का नाम	धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी पत्र		राजभाषा नियम - 05				हिंदी पत्राचार			
		द्विभाषी में	अंग्रेजी में	हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	हिंदी में उतरित	अंग्रेजी में उतरित	उतर अपेक्षित नहीं है	द्विभाषी/हिंदी में	अंग्रेजी में	इस ति. %	पि. ति. %
1.	प्रशासन	23	00	47	00	00	47	165	72	69.62	67.06
2.	भंडार	12	00	37	00	00	37	49	19	72.06	72.86
3.	पीएमसीई	09	00	12	00	00	12	206	08	96.26	99.22
4.	सीम [SEEM]	03	00	00	00	00	00	203	24	89.69	100.00
5.	प्रशिक्षण	04	00	01	00	00	01	52	09	85.25	87.34
6.	अनुरक्षण	04	00	05	00	00	05	25	09	73.52	63.38
7.	रेशमकीट	00	00	16	09	00	07	422	14	96.79	91.35
8.	होस्ट प्लांट	00	00	00	00	00	00	240	24	90.91	97.18
9.	जैव-प्रौद्योगिकी	00	00	00	00	00	00	104	00	100.00	96.67

क्र. सं.	अनुभाग का नाम	टिप्पण		
		हिंदी में	अंग्रेजी में	%
1.	प्रशासन	67	45	59.82
2.	भंडार	42	41	50.60
3.	पीएमसीई	79	03	96.34
4.	सीम [SEEM]	06	02	75.00
5.	प्रशिक्षण	17	11	60.71
6.	अनुरक्षण	12	06	66.66
7.	रेशमकीट	25	08	75.75
8.	होस्ट प्लांट	12	01	92.30
9.	जैव-प्रौद्योगिकी	10	00	100.00

30 दिसम्बर, 2020 को समाप्त संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	केन्द्रों का नाम	धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी पत्र		राजभाषा नियम - 05		राजभाषा क्षेत्र को प्रेषित पत्र			
				हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	अंग्रेजी में उतरित	द्विभाषी/हिंदी में	अंग्रेजी में	इस ति. %	पि. ति. %
		द्विभाषी में	अंग्रेजी में						
1.	क्षेत्रअके, कलिम्पोंग	16	00	10	00	87	70	55.41	56.21
2.	क्षेत्रअके, जोरहाट	04	00	113	00	123	33	78.84	80.06
3.	क्षेत्रअके, कोरापुट	34	00	69	00	85	09	90.43	90.10
4.	अविके, मोथाबाड़ी	02	00	112	00	143	22	86.66	69.78
5.	अविके, मॉर्मरिंग	00	00	13	00	32	12	72.72	70.37
6.	अविके, आईजोल	00	00	12	00	30	07	81.08	79.59
7.	अविके, दीमापुर	02	00	22	00	45	19	70.31	75.60
8.	अविके, अगरतला	06	00	02	00	42	00	100.00	100.00
9.	अविके, शिलांग	00	00	00	00	24	08	75.00	74.19
10.	अविके, भंडरा	00	00	26	00	22	05	81.48	68.18

क्र. सं.	केन्द्रों का नाम	फाइलों पर हिंदी में टिप्पण			हिंदी कार्यशला के आयोजन की तारीख	राभकास के आयोजन की तारीख
		कुल	हिंदी में	%		
1.	क्षेत्रअके, कलिम्पोंग	148	78	52.70	----	21.12.2020
2.	क्षेत्रअके, जोरहाट	114	51	44.73	17.12.2020	18.12.2020
3.	क्षेत्रअके, कोरापुट	47	47	100.00	----	31.12.2020
4.	अविके, मोथाबाड़ी	00	00	00.00	----	21.12.2020
5.	अविके, मॉर्मरिंग	00	00	00.00	----	17.11.2020
6.	अविके, आईजोल	00	00	00.00	----	12.11.2020
7.	अविके, दीमापुर	28	21	75.00	----	22.10.2020
8.	अविके, अगरतला	06	06	100.00	----	10.12.2020
9.	अविके, शिलांग	01	01	100.00	----	22.12.2020
10.	अविके, भंडरा	00	00	00.00	----	11.12.2020

संस्थान में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की अद्यतन प्रशिक्षण की सूची: कुल संख्या-100

संस्थान का नाम, केरेडअवप्रसं, बहरमपुर [प.बं.]		
अधिकारियों की सं.	कर्मचारियों की सं.	कुल अधि. / कर्म. की संख्या
27	73	100
प्रवीणता प्राप्त अधि. / कर्मचारियों की संख्या		
अधि.	कर्म.	कुल
03	06	09
कार्यसाधक प्राप्त अधि. / कर्मचारियों की संख्या		
अधि.	कर्म.	कुल
24	64	88
प्रशिक्षणाधीन अधि. / कर्मचारियों की संख्या		
अधि.	कर्म.	कुल
01	02	03
अप्रशिक्षित अधि. / कर्मचारियों की संख्या		
अधि.	कर्म.	कुल
00	00	00